न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 11/2025

ऑनलाईन जीसीएमएस नंबर 2025/26 निर्णय दिनांक 09.06.2025

सहीराम चान्दूराम जाति सांसी निवासी मोमासर हाल कामासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

—वादी—

—बनमा—

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए व 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने खेत खसरा नम्बर 552 मीन तादादी 38 बीघा 11 बिस्वा वाके रोही ठुकरियासर के 1/2 हिस्से के संयुक्त खातेदार हरीराम पुत्र डालूराम जाति चमार निवासी ठुकरियासर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.05.1984 को खरीद किया था। उक्त खसरा भूमि में से 1/2 हिस्सा की भूमि खरीद करने के बाद विभाजित होकर वादी के नाम खसरा नम्बर 951/552 तादादी 19 बीघा 5 बिस्वा कायम हो गये और कालान्तर में खसरा नम्बर 951/552 से नये खसरा नम्बर 999 तादादी 4.8700 हैक्टयर कायम हो गये। वादी का सही व वास्तविक नाम सहीराम पुत्र चान्दूराम जाति सांसी रहा है। वादी का बचपन का बोलता नाम सालाराम भी रहा है व वादी को अपने घर, परिवार, समाज, रिश्तेदारी में सालाराम व सहीराम दोनों ही नामों से जाना व पुकारा जाता था। उक्तदोनों नाम वादी के ही नाम रहे है जो एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी ने जब उक्त खेत खरीद किया तब किसी प्रकार की कोई आई.डी. का चलन नहीं था और खेत खरीदने के समय विक्रय पत्र में वादी का बोलता नाम सालाराम अंकित करा दिया गया और खसरा नम्बर 951/552 तादादी 19 बीघा 05 बिस्वा वाके रोही ठुकरियासर की सालाराम पुत्र चान्दूराम जाति सांसी निवासी मोमासर के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। यह है कि राजस्व अमला द्वारा जब सम्वत् 2060 में खसरों का सेटलमेंन्ट किया गया तो वादी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 951/552 के नये खसरा नम्बर 999 तादादी 4.8700 हैक्टेयर कायम कर दिए गये और वादी के बोलता नाम सालाराम पुत्र चान्दूराम सांसी की जगह मालाराम पुत्र चान्दूराम जाति सांसी सा. मोमासर अंकित कर दिया गया यह है कि वादी फिर गांव मोमासर छोड़कर गांव कामासर तहसील सरदारशहर में रहने लगा और वादी के तमाम सरकारी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र,मूलनिवास, जनआधार कार्ड, बैंक खातों में वादी का सही व वास्तविक नाम सहीराम पुत्र चान्दूराम जाति सांसी निवासी कामासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू दर्ज करा दिया गया। वादी को अपने समाज, परिवार, रिश्तेदारी आदि में सब जगह सालाराम व सहीराम दोनों नामों से ही जाना व

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:36:00 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

पुकारा जाता रहा है जिसके कारण ही वादी ने जब खेत खरीद किया तो विक्रय पत्र में वादी का नाम सालाराम पुत्र चान्दूराम जाति सांसी अंकित करा दिया गया व विक्रय पत्र के अनुसार सालाराम पुत्र चान्दूराम सांसी के नाम से खातेदारी भी दर्ज कर दी गई परन्तु सेटलमेन्ट सम्वत् 2060 के दौरान जब वादी के खेत के नये खसरा नम्बर 999 कायम किए गये तो वादी का नाम बिलकुल ही गलत रूप से मालाराम पुत्र चान्दूराम जाति सांसी अंकित कर दिया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी का गलत नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहबन से गलत दर्ज कर दिया गया था जो वर्तमान जमाबन्दी में भी बदस्तुर आज तक चला आ रहा है। वादी पिछले काफी समय से सरदार शहर तहसील के गांव कामासर में निवास कर रहा है और वादी का सही व वास्तविक नाम सरकारी दस्तावेजों में सहीराम पुत्र चान्दूराम सांसी निवासी कामासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू अंकित चला आ रहा है व राजस्व रिकार्ड में मालाराम पुत्र चान्दूराम जाति सांसी निवासी मोमासर अंकित चला आ रहा है जिसके कारण वादी को के.सीसी. बनाने, खेत में ट्यूबवैल आदि बनाने तथा विक्रय, हस्तान्तरण करने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में वादी के पास अपनी खातेदारी के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 999 तादादी 4.8700 हैक्टेयर वाके रोही ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड में मालाराम पुत्र चान्दूराम जाति सांसी निवासी मोमासर की जगह अपना सही व वास्तविक नाम सहीराम पुत्र चान्दूराम जाति सांसी निवासी कामासर तहसील सरदार शहर जिला चूरू की घोषणा करवाना चाहता है जिसके लिए यह घोषणात्मक दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि उक्त खसरा भूमि वादी की खरीद शुदा कृषि भूमि है जिस पर वादी का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड मे लिपिकीय भूल से मालाराम पुत्र चान्दूराम अंकित चलाआ रहा है, ऐसे अंकन के आधार पर वादी के अधिकार खत्म नहीं हुए है वरन् आज भी कायम है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम व पता अंकित करवाकर दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है जिसक`लिए यह रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि वादगत खेत में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चला आ रहा है और वर्तमान में वादी गांव कामासर तहसील सरदारशहर में रिहायश कर रहा है। वर्तमान में कृषि भूमि की कीमते बढ़ जाने क`कारण लोगों की वादी के खेत पर नजर है तथा वादी के खेत पर कब्जा करने व अतिक्रमण कर खेत को विक्रय, हस्तान्तरण करने पर आमादा हो रहे है, वादी ने दिनांक 26.12.2024 को प्रतिवादी से उसका सही व वास्तविक नाम सहीराम पुत्र चान्दूराम सांसी दर्ज करने व वर्तमान निवास का पता कामासर तहसील सरदार शहर जिला चूरू राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने कहा कि राजस्व रिकार्ड में एक बार अशुद्धि हो जाने पर इसे में [illegible] कर सकता, आपको सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आना होगा बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम व पता शुद्धिकरण सम्भव [illegible] है ऐसी स्थिति में वादी के पास प्रतिवादी के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा का वाद भी लाया जाना आवश्यक हो गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:36:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अन्यथा वादी के खेत पर नजर रखने वाले व्यक्ति वादगत खेत पर कब्जा कर लेंगे व वादगत खेत को विक्रय, हस्तान्तरण कर देंगे, उस स्थिति में वादीको बड़ा भारी नुकशान होगा। यह है कि वादगत खेत वादी के खातेदारी कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग का होने से व प्रतिवादी द्वारा वादगत खेत में दर्ज चले आ रहे गलत नाम व पते की शुद्धि करने से दिनांक 26.12.2024 को इन्कार करने से वादी को वाद हेतु व वादाधार हासिल है। यह है कि प्रतिवादी लैण्डलोर्ड है जिसके द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण किया जाता है इसलिए प्रतिवादी आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया। प्रतिवादी के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आज्ञापक होता है परन्तु वादी के खेत पर लोगों की बुरी नजर है और वादी के गांव मोमासर में नही रहने व वादी के गलत नाम का नाजायज फायदा उठाकर वादगत खेत को खुर्दबुर्द करने, अतिक्रमण करने व विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा हो रहे है इसलिए मामला अमरजेन्सी व तुरन्त अनुतोष प्राप्ति का होने के कारण धारा 80 (2) सीपी.सी. का अलग से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्राप्त कर ली गई है। यह है कि वादगत खेत रोही ग्राम टुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है इसलिए दावा को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है। यह है कि दावा हर तरह से समयावधि क भीतर व पूर्ण न्याय शुल्क पर न्यायालय श्रीमान् के समुख प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कि वाद गत खेत खसरा नम्बर 999 तादादी 4.8700 हैक्टेयर वाके रोही ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम मालाराम पुत्र चान्दूराम सांसी निवासी मोमासर की जगह सही व वास्तविक नाम सहीराम पुत्र चान्दूराम सांसी निवासी कामासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू घोषित किया जावे।

(ख) कि प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खसरा नम्बर 999 तादादी 4.8700 हैक्टेयर वाके रोही ढुकरियासर के सम्बन्ध में वादी के अलावा अन्य किसी के भी द्वारा विक्रय, हस्तान्तरण प्रस्तुत होने पर उसे तस्दीक नहीं करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

(ग) कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वो वादी का नाम व पता राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम मालाराम पुत्र चान्दूराम सांसी निवासी मोमासर के स्थान पर उसकी सही नाम व पता सहीराम पुत्र चान्दूराम सांसी निवासी कामासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू अंकित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे व उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे।

(घ) किय अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो [illegible]कर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:36:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 999 तादादी 4.8700 हैक्टेयर वाके रोही ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम मालाराम पुत्र चान्दूराम सांसी निवासी मोमासर के स्थान पर सही व वास्तविक नाम सहीराम पुत्र चान्दूराम सांसी निवासी कामासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को मेरे द्वार लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:36:00 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल

उनवान

सहीराम चान्दूराम जाति सांसी निवासी मोमासर हाल कामासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

—बनमा—

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

दावा बाबत घोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा, रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर 11/2025
निर्णय दिनांक: 09.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता राजाराम नैण एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकाराराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 999 तादादी 4.8700 हैक्टेयर वाके रोही ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम मालाराम पुत्र चान्दूराम सांसी निवासी मोमासर के स्थान पर सही व वास्तविक नाम सहीराम पुत्र चान्दूराम सांसी निवासी कामासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0.. फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 09 माह 06 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल),
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:36:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)